

पाली

13/1/25

अधिवक्ता अपीलान्त उपर। अधिवक्ता
अपीलान्त को न्यायालय द्वारा दिनांक
12/1/25 से सम्मत पेश करने हेतु
कोई अवसर दिए जा चुके हैं किन्तु आदिनांक
तक अधिवक्ता अपीलान्त ने सम्मत पेश नहीं
किए। अतः उक्त अपील अपन तकनीक
में खालि की जाती है। पगावनी कैल
शुमार टैकर नम्बर सेवन हो।

राजस्व अधिकारी
पाली